Bo. dated. 29.9.2K 4(ग)(2) पृ(F-107(1) से (

राजस्थान भ-राजस्व अधिनियम, 1956§ राजस्थान अधिनियम सं0 47 वर्ष 1956§ की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू §अलाटमेन्ट आफ लैण्ड फार एग्रीकल्चरल पपपपेज§ §अमेण्डमेन्ट§ रूल्स, 2000 जो अधिसूचना क्रमांक प. 5§4§राज-4/89/रेव-6/29 डेट 14.8.2000 से जारी किया गया का हिन्दी अनुवाद एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

क्रमांक:- प. 5§4§ राज-4/ /राज-6/ जयपुर, दिनांक:-

क्रमांक:- प. 5§4§राज-4/89/राज-6/36 जयपुर, दिनांक:- 23.9.2000

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 § 1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या-15§ की धारा 101 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 261 की उप-धारा §2§ के खण्ड § xxi i § द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व §कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन § नियम, 1970 को ओर संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. §1§ इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व §कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन§ §संशोधन§ नियम, 2000 है।

   §2§ ये 15 अगस्त, 2000 से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम-2 का संशोधन:- राजस्थान भू-राजस्व §कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन § नियम, 1970, जिन्हें इसमें आगे " उक्त नियम " कहा गया है, के नियम 2 में, खण्ड§ii-ख § के परन्तुक में, प्रवर्ग §ख§ के पश्चात निम्नलिखित नया प्रवर्ग §ग§ जोडा जायेगा, अर्थात:-

   "§ग§ ऐसा विवाहित व्यक्ति, जिसकी पत्नी या, यथास्थिति, पति, ऐसी किसी भी भूमि, जो पूर्व में उसे आवंटित की गई है, को सम्मिलित करते हुए संयुक्ततः या पृथकतः जो भूमि धारण करता है वह नियम 12 में विहित क्षेत्रफल से अधिक हो।"

3. नियम 8 में संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 8 में, उप नियम §1§ के पश्चात और उप-नियम §2§ के पूर्व निम्नलिखित नया उप नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

   "§1-क§ जहां कोई आवेदक विवाहित कृषक है वहां आवंटन के लिए आवेदन पति और पत्नी दोनों के नाम से प्रस्तुत किया जायेगा।"

4. नियम 14 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 14 के उप-नियम §1§ के पश्चात निम्नलिखित नया उप-नियम §1-क§ अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

   "§1-क§ यदि भूमि का आवंटन किसी विवाहित कृषक को किया जाता है तो आवंटन पति और पत्नी के संयुक्त नाम से किया जायेगा और ऐसे मामले में आवंटिती संयुक्त आवंटिती समझे जायेंगे।"

5. प्रपत्र 3 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्रपत्र 3 में,-

   §1§ विद्यमान शब्द "मैं", "मुझे", "मेरा", या "प्रार्थी", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "मैं/हम", "मुझे/हमें", "मेरे/हमारे", या "प्रार्थी/प्रार्थियों" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

क्रमशः....2 पर

(2) अभिव्यक्ति "व्यवसाय-----" के पश्चात और अभिव्यक्ति"निम्न आवेदन करता हूँ।" के पूर्व निम्नलिखित अभिव्यक्ति अन्त:स्थापित की जायेगी :-

"या

(विवाहित आवेदक के मामले में)

हम, श्री ---------- पुत्र श्री ---------- आयु ----
व्यवसाय ----------(पति और श्रीमती ---------- पत्नी श्री ----------
आयु ---------- व्यवसाय ----------(पत्नी) निवासी ----------
तहसील ---------- जिला ----------

6. प्रस्थ 5,5-क और 5-ख का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्रस्थ 5, 5-क और 5-ख में क्रम संख्या 1 के पश्चात और क्रम संख्या-2 के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

" या

संयुक्त आवंटिती का नाम

श्री ---------- पुत्र श्री ---------- आयु ---------- (पति)
और श्रीमती ----------पत्नी श्री ----------आयु----------(पत्नी)
निवासी ----------तहसील ---------- जिला ----------

7. प्रस्थ 6 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्रस्थ 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति " निवासी ---------- " के पश्चात और अभिव्यक्ति " को निम्न विवरण की भूमि " से पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा:-

" विवाहित आवंटिती के मामलों में ,

श्री ---------- पुत्र श्री ---------- आयु ----------(पति)
और श्रीमती ---------- पत्नी श्री ----------आयु ----------(पत्नी)
निवासी ----------" और विद्यमान अभिव्यक्ति " श्री ----------"
के पश्चात और अभिव्यक्ति " को कथित नियमों के नियम " के पूर्व अभिव्यक्ति "और श्रीमती ----------" अन्त:स्थापित की जायेगी ।

राज्यपाल के आदेश से ,

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

मनोज/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव , मुख्य मंत्री / मुख्य सचिव / राजस्व सचिव ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
5. निदेशक, आर0 आर0 टी0 आई, अजमेर ।
6. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
7. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय ,जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक 23.9.2000 में प्रकाशनार्थ ।
8. "राविरा " राजस्व मण्डल, अजमेर ।
9. आर्ले आर0 ए0ए0 (एस.) राजस्थान ।
10. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग ।
11. विधि संहिताकरण विभाग को 7 अतिरिक्त प्रतियों के ।
12. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर ।
13. संयुक्त रजिस्ट्रार जजेज लाइब्रेरी, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली को 5 अतिरिक्त प्रति।
14. रक्षित पत्रावली ।

सहायक विधि परामर्शकार

मनोज/